



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1084]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2016/वैशाख 14, 1938

No. 1084]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2016/VAISAKHA 14, 1938

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

( भारी उद्योग विभाग )

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

का. आ. 1643(अ).—दिनांक 21 अप्रैल, 2016 के का.आ. 1468(अ) के तहत भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत हेतु प्रमाण-पत्र जारी करने के दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए, उसके साथ संलग्न अनुबंध नीचे दिए गए अनुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है :-

अनुबंध

राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण के सड़क परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

सत्यापन के बाद, यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री/पत्नी

श्री

आयु

निवासी

कार (मॉडल का नाम)

चलाने में समर्थ

हैं, जिसमें ऑटो ट्रांसमिशन है या जिसे रिट्रोफिट कर दिया गया है अथवा उनकी विकलांगता का कृत्रिम उपायों द्वारा समाधान कर दिया गया है, और वह श्री/श्रीमती/सुश्री की विकलांगता के लिए उपयुक्त है तथा उन्हें इस वाहन को चलाने में कोई समस्या नहीं है।

जारी करने वाले अधिकारी का नाम और मुहर पता और दूरभाष संख्या

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 2 मई, 2016

[फा. सं 12(42)/2015-ईआई]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES****(Department of Heavy Industry)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 2nd May, 2016

**S.O. 1643(E).**—In the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises' Notification issued under S.O. 1468(E) on 21<sup>st</sup> April 2016 for partial amendment to the Guidelines for issue of Excise Duty Concession Certificate for purchase of vehicles by Persons with Disability, the ANNEXURE appended thereon stands modified/replaced as reproduced hereunder :—

**ANNEXURE****CERTIFICATE TO BE ISSUED BY ROAD TRANSPORT OFFICER OF STATE ROAD TRANSPORT AUTHORITY**

After verification, it is certified that Shri/Smt./Ms. \_\_\_\_\_ Son/Daughter/Wife of Shri \_\_\_\_\_ aged \_\_\_\_\_ years residing at \_\_\_\_\_ is capable of driving Car (Name of the Model) \_\_\_\_\_, which is having auto transmission or which has been retrofitted or his/her disability has been addressed by prosthetic means, and suits the disability of Shri/Smt./Ms \_\_\_\_\_ and is unlikely to have any problem in driving this vehicle.

Name and Seal of the Issuing Authority  
with Address and Telephone Number

Place: New Delhi  
Date: 2nd May 2016

[F. No. 12(42)/2015-AEI]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.